न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 274/2009(आरसीएमएस संख्या : 2009/00124)
सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

सत्यदेव शर्मा पुत्र श्री रामनाथ शर्मा, जाति–ब्राह्मण, निवासी–29, उनियारा गार्डन, मोतीडूंगरी रोड, जयपुर। (मृतक)

1/1 सुमति शर्मा पत्नी स्व0 श्री सत्यदेव शर्मा, जाति–ब्राह्मण, निवासी–29, उनियारा गार्डन, मोतीडूंगरी रोड, जयपुर।

1/2 ममता सोनी पत्नी श्री नन्द किशोर सोनी पुत्री स्व0 श्री सत्यदेव शर्मा, जाति–ब्राह्मण, निवासी–29, उनियारा गार्डन, मोतीडूंगरी रोड, जयपुर।

1/3 मंजू शर्मा पुत्री स्व0 श्री सत्यदेव शर्मा, जाति–ब्राह्मण, निवासी–29, उनियारा गार्डन, मोतीडूंगरी रोड, जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थिति :–

1. पेरोकार सरकार।
2. नन्द किशोर कुमावत, अभिभाषक, अप्रार्थीगण की ओर से। वरवक्त बहस असालतन/वकालतन अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय

दिनांक : 18.12.2019

तहसीलदार, जयपुर द्वारा निवेदन किया गया है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 में ग्राम माचवा की आराजी खसरा नम्बर 271 रकबा 147 बीघा 05 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकीन नदी दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर 271 रकबा 147 बीघा 05 बिस्वा में से 16 बीघा सत्यदेव शर्मा पुत्र श्री रामनाथ शर्मा, जाति–ब्राह्मण, साकिन जयपुर के हक में जरिये आदेश क्रमांक एफ 3(2) (20) राज/सै.क./71 दिनांक 23.10.1971 आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या–375 सत्यदेव के नाम दर्ज होकर गैर–खातेदारी तत्पश्चात् जरिये नामान्तरकरण संख्या–613 खातेदारी दिये जाने के फलस्वरूप आवंटी राजस्व अभिलेख में खातेदार–काश्तकार दर्ज होकर नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2060–2063 अनुसार खातेदार दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2015–2034 में दर्ज गैर–मुमकीन नदी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश

दिए गए है। अतः विवादग्रस्त आराजी को सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकीन नदी दर्ज किए जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान् पेरोकार सरकार का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 में ग्राम माचवा की आराजी खसरा नम्बर 271 रकबा 147 बीघा 05 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकीन नदी दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर 271 रकबा 147 बीघा 05 बिस्वा में से 16 बीघा सत्यदेव शर्मा पुत्र श्री रामनाथ शर्मा, जाति–ब्राह्मण, साकिन जयपुर के हक में जरिये आदेश क्रमांक एफ 3(2) (20) राज/सै.क./71 दिनांक 23.10.1971 आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या–375 सत्यदेव के नाम दर्ज होकर गैर–खातेदारी तत्पश्चात् जरिये नामान्तरकरण संख्या–613 खातेदारी दिये जाने के फलस्वरूप आवंटी राजस्व अभिलेख में खातेदार–काश्तकार दर्ज होकर नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2060–2063 अनुसार खातेदार दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2015–2034 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त खसरा नम्बर 271 रकबा 147 बीघा 05 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकीन नदी में से 16 बीघा सत्यदेव शर्मा पुत्र श्री रामनाथ शर्मा को आवंटन किया गया हैं। जिसका इन्द्राज नामान्तरकरण सं0–375 के कॉलम सं0–14 पर है, नियमों के विपरीत अवैध रूप से आवंटित की गई है। जबकि विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 में यह आराजी गैर–मुमकीन नदी दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी आवंटन हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होगें। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि के आवंटन हेतु राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 राज्य सरकार द्वारा बनाये गये है और ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रभावशील हुए है। आवंटन नियम 1970 के नियम 4 में भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकीन नदी की आराजी को आवंटन किया गया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे अवैध आवंटन के पश्चात् आवंटी के हक में राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज और पश्चातवर्ती प्रारंभ से शून्य है। ऐसी स्थिति में आवंटन एवं आवंटन के परिणामस्वरूप राजस्व

अभिलखों में अब तक किये गये इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे समय सीमा बाधित नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

हमनें विद्वान् पेरोकार सरकार की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 ग्राम माचवा की आराजी खसरा नम्बर 271 रकबा 147 बीघा 05 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकीन नदी दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर 271 रकबा 147 बीघा 05 बिस्वा में से 16 बीघा सत्यदेव शर्मा पुत्र श्री रामनाथ शर्मा, जाति–ब्राह्मण, साकिन जयपुर के हक में जरिये आदेश क्रमांक एफ 3(2) (20) राज/सै.क./71 दिनांक 23.10.1971 आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या–375 सत्यदेव के नाम दर्ज होकर गैर–खातेदारी तत्पश्चात् जरिये नामान्तरकरण संख्या–613 खातेदारी दिये जाने के फलस्वरूप आवंटी राजस्व अभिलेख में खातेदार–काश्तकार दर्ज होकर नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2060–2063 अनुसार खातेदार दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2015–2034 में दर्ज गैर–मुमकीन नदी आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2008 में वादग्रस्त आराजी गैर–मुमकिन नदी दर्ज है। वरवक्त बहस विद्वान् पेरोकार सरकार ने विवादग्रस्त आराजी को आवंटन दिनांक को राजस्व अभिलेख में गैर–मुमकीन नदी दर्ज होने का कथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2015–2034 से होती है और इस आराजी का आवंटन सत्यदेव शर्मा पुत्र श्री रामनाथ शर्मा, जाति–ब्राह्मण को किया गया है, की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल नामान्तरकरण सं0–375 ग्राम–माचवा से होती है। खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 613 स्वीकार किया गया हैं। विवादग्रस्त आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2060–2063 में निजी खातेदारी दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकीन नदी की भूमि की निजी खातेदारी किसी को नही दी जा सकती किन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकीन नदी भूमि का आवंटन कर खातेदारी दी गई हैं, जो प्रारम्भ से शून्य हैं और ऐसे प्रारम्भ से शून्य आधारित निर्णय/आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण मे एवं इसके पश्चात की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वत: ही अवैध

हो जाती हैं। नियमानुसार गैर–मुमकीन नदी भूमि का आवंटन/नियमन/खातेदारी नही दी जा सकती इसके बावजूद नियमों के विपरीत खातेदारी दी गई हैं/ली गई हैं जो प्रारम्भ से शून्य हैं। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ हैं तो यह प्रभाव शून्य हैं। शून्य आधारित आदेश के विरूद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता हैं । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी. बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार, जयपुर द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं हैं। परिणामतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त खसरा नम्बर 271 रकबा 147 बीघा 05 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकीन नदी वाके ग्राम–माचवा में से 16 बीघा (जिसके हाल आ.ख. नम्बर 271/1031 है) बहक आवंटन सत्यदेव शर्मा पुत्र श्री रामनाथ शर्मा, जाति–ब्राह्मण को निरस्त करने एवं इस आवंटन के फलस्वरूप आवंटी के हक में दर्ज किये गये इन्द्राजात एवं निजी खातेदारी में लगाए जाने की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने तथा वापिस सिवायचक गैर–मुमकीन नदी दर्ज करने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकारान को दिनांक 11.02.2020 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 18.12.2019 को सुनाया गया।

अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर